



Neutral Citation No. - 2026:AHC:169256-DB

सुरक्षित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 7066/2026

रवि पटेल उर्फ दिव्यांश गोयल एवं अन्य याचिकाकर्ता (गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : श्री मनीष सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : श्री दीपक कपूर, ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या- 2

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

(माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर द्वारा पारित)

1- यह रिट याचिका दिनांक 13.02.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 0036 सन् 2026 से संबंधित है और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बी.एन.एस.') की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 308(4), 351(2) एवं 352 के अन्तर्गत थाना कोतवाली, जनपद ईस्ट (कमिश्नरेट कानपुर नगर) में पंजीकृत है (संक्षेप में, 'आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट')।

2- याचियों की ओर से इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाने के समर्थन में प्रस्तुत किए गए निवेदन पर याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष सिंह तथा उसके उत्तर में राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री दीपक कपूर को सुना।

3- आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से पता चलता है कि सूचनाकर्ता के आरोपों का मुख्य जोर प्रताप सिंह के पुत्र अमित सिंह के विरुद्ध है, जिसने याची रवि पटेल को भूखण्ड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 783 के स्वामी दिव्यांश गोयल के रूप में प्रतिरूपण करने तथा मेसर सिंह पुत्र शोभा राम को भूखण्ड संख्या 782 के स्वामी राधे लाल के रूप में प्रतिरूपण करने के लिए प्रेरित किया और बिक्री के लिए एक करार में प्रवेश कराया, जिसमें विभिन्न तिथियों पर दिव्यांश के बैंक खाते में उसने सूचनाकर्ता से ₹1.5 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित कराई। सूचनाकर्ता का आगे यह प्रकरण है कि अमित सिंह एवं उसके सहयोगियों, जिसमें द्वितीय एवं तृतीय याची भी सम्मिलित हैं, ने एक षड्यंत्र किया और धोखा देने के आशय से ₹24 से ₹25 लाख की धनराशि उनके खातों में स्थानांतरित कराई, जिसे अमित सिंह ने वापस करने से इनकार कर दिया है। मांग किए जाने पर, वह सूचनाकर्ता को झूठे आपराधिक प्रकरणों में फंसाने की धमकी देता है। झूठे तौर पर फंसाने की धमकियों के संबंध में अत्यंत विस्तृत आरोप हैं। यह भी कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान अमित सिंह एवं उसके सहयोगियों ने बिक्री के लिए एक झूठा करार तैयार करने के पश्चात सूचनाकर्ता के विरुद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं. के अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या 46 सन् 2022 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि, विवेचना अधिकारी ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 15.03.2024 को स्वीकार कर लिया गया। मुख्य आरोप प्रतिरूपण द्वारा सूचनाकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने, प्रथम एवं द्वितीय याचियों को भूखण्ड संख्या 782 एवं 783 का स्वामी गलत रूप से प्रस्तुत करने तथा सूचनाकर्ता के साथ बिक्री के लिए करार में प्रवेश करने के संबंध में है। इस प्रकार, प्रथम याची रवि पटेल @ दिव्यांश गोयल के खाते में ₹1.5 करोड़ स्थानांतरित कराए गए।

4- याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विवाद मूलतः सिविल प्रकृति का है और कोई झूठा दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने इस निवेदन का विरोध किया है।

6- पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात, हमें भय है कि हम याचियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि प्रथम एवं द्वितीय याचियों के विरुद्ध प्रतिरूपण के निश्चित आरोप हैं। अगला निवेदन उन्हीं भूखण्डों से संबंधित है, जिनके संबंध में इससे पूर्व प्रताप सिंह के पुत्र अमित सिंह एवं उसके कुछ अन्य सहयोगियों के विरुद्ध अनुराग गोयल पुत्र राधे लाल गोयल द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 0007 सन् 2026, धारा 120-बी, 471, 468, 467, 420 भा.दं.सं., थाना कोतवाली, जनपद ईस्ट (कमिश्नरेट कानपुर नगर) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें इस न्यायालय की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खण्डपीठ ने आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 572 सन् 2026, अमित सिंह एवं दो अन्य में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तारी पर रोक प्रदान की थी। यह भी बताया गया है कि एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 1504 सन् 2020, धारा 120-बी, 471, 468, 467, 420 भा.दं.सं., थाना कल्याणपुर, जनपद वेस्ट (कमिश्नरेट कानपुर नगर), राधे लाल गोयल द्वारा उन कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है, जिन्होंने उनका प्रतिरूपण करते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उनकी भूमि, जिसमें भूखण्ड संख्या 782 सम्मिलित है, को हस्तांतरित करने का प्रयास किया था। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रतिरूपण करने वाला व्यक्ति दिव्यांश गोयल था, जिसने अलग-अलग पते दर्शाए थे। यह बताया गया है कि उक्त प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण में सह-अभियुक्त अमित सिंह के विरुद्ध पुनः आरोप-पत्र दाखिल किया है, किंतु इस न्यायालय ने धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत आवेदन संख्या 29784 सन् 2025 में दिनांक 02.09.2025 के आदेश द्वारा आगे की कार्यवाही पर रोक इस आधार पर प्रदान की है कि सूचनाकर्ता संपत्ति का स्वामी नहीं है, क्योंकि वह राज्य में निहित है। सूचनाकर्ता विपिन मिश्रा द्वारा दर्ज कराई गई आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों का मुख्य जोर यह है कि प्रतिरूपण द्वारा उसके धन के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसमें रवि पटेल ने भूखण्ड संख्या 783 के संबंध में बिक्री के लिए करार में प्रवेश करने के उद्देश्य से दिव्यांश गोयल के रूप में प्रतिरूपण किया और मेसर सिंह ने राधे लाल के रूप में प्रतिरूपण करके बिक्री के लिए करार में प्रवेश किया तथा इसके परिणामस्वरूप ₹1.5 करोड़ की धनराशि प्रथम याची रवि पटेल @ दिव्यांश गोयल के खाते में स्थानांतरित की गई।

7- प्रश्न भूखण्ड संख्या 782 एवं 783 के स्वामित्व का नहीं है, जो राज्य में निहित हैं, बल्कि प्रतिरूपण द्वारा सूचनाकर्ता के साथ धोखाधड़ी किए जाने का है। भले ही संपत्ति के स्वामियों द्वारा अमित सिंह के विरुद्ध समान आरोपों वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हों, वर्तमान सूचनाकर्ता के विरुद्ध अपराध पूर्व की प्रथम सूचना रिपोर्टों में सम्मिलित अपराधों से अलग एवं भिन्न है। अभिलेख के प्रथम दृष्टया अवलोकन पर आरोप किसी भी प्रकार के सिविल विवाद से संबंधित नहीं हैं। यदि यह सत्य हो सकता है कि जिस भूमि के संबंध में प्रथम याची के खाते में धनराशि प्राप्त की गई है, वह किसी निजी व्यक्ति की नहीं है और अब राज्य में निहित है, तो पूर्व अभिलेखित स्वामियों के स्थान पर प्रतिरूपण करने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुत करके ऐसी भूमि के संबंध में करार में प्रवेश करने का अपराध और भी गंभीर है। प्रकरण की विवेचना किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8- हम यह नहीं कहना चाहते कि आरोप सत्य हैं, किंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की याचिका में हमारी सुविचारित राय है कि यह न्यायालय याचियों के विवादित बचाव में नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त, याचियों का यह तर्क कि झूठा दस्तावेज तैयार करने का कोई प्रकरण नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जो आरोप लगाया गया है, वह स्पष्ट रूप से प्रतिरूपण का है। कोई प्रतिरूपण करने वाला व्यक्ति सम्मिलित था अथवा नहीं, यह वर्तमान कार्यवाही में जांच के दायरे से बाहर है। अन्य तर्क कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट है, बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अन्य प्रथम सूचना रिपोर्टें भिन्न सूचनाकर्ताओं द्वारा दर्ज कराई गई थीं, जिन्होंने अलग प्रकार की क्षति का आरोप लगाया था, जिससे एक विशिष्ट अपराध उत्पन्न हुआ, भले ही वही मुख्य अभियुक्त अमित सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसका कारण बना हो। जहां तक इस प्रकरण के सूचनाकर्ता का संबंध है, उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया अपराध उन दोनों पूर्व प्रथम सूचना रिपोर्टों के सूचनाकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध से अलग एवं भिन्न है।

9- आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रकरण नहीं बनता है।

10- यह याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना) (न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

12 अगस्त, 2026

अनूप